PM विश्वकर्मा योजना

//

PM विश्वकर्मा योजना

हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं के वास्तुकार-
विश्वकर्मा को सम्मानित करने के लिये विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है।

मान्यता है कि विश्वकर्मा पौराणिक शहर लंका तथा ओडिशा में स्थित पुरी में जगन्नाथ की अद्भुत प्रतिमा के वास्तुकार थे।

उद्देश्य

- पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों का उत्थान करना।
- भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।
- औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य शृंखला में परिवर्तन।

कार्यान्वयन मंत्रालय

- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (नोडल मंत्रालय)**
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय)

योजना का प्रकार

- केंद्रीय क्षेत्र योजना

समयावधि

- **5 वर्ष** (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक)

विशेषताएँ

- 5% की ब्याज दर पर 3 **लाख रुपए तक** की **संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता।**
- नामांकित कारीगरों व शिल्पकारों के लिये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं एक पहचान पत्र।

पंजीकरण

- ग्रामों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर

कवरेज/व्याप्ति - 18 पारंपरिक व्यापार क्षेत्र

- बढ़ई (सुथार)
- नाव निर्माता
- अस्त्र बनाने वाला
- लोहार
- हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता
- ताला बनाने वाला
- सुनार
- कुम्हार
- मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला
- मोची (चर्मकार)
- राजमिस्त्री
- टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/ जूट बुनकर
- गुड़िया और खिलौना निर्माता
- नाई
- माला बनाने वाले
- धोबी
- दर्ज़ी
- मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला

स्टाइपेन्ड एवं प्रोत्साहन

- **कौशल प्रशिक्षण** के लिये 500 रुपए (स्टाइपेन्ड)
- **आधुनिक उपकरण खरीदने के लिये** 1,500 रुपए
- **टूलकिट प्रोत्साहन** के रूप में 15,000 रुपए

महत्त्व

- कारीगरों को सम्मान/समर्थन तथा **वैश्विक आपूर्ति शृंखला में उनको शामिल करना।**

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-vishwakarma-scheme-1